उनवान – श्रीजली पुत्री बनाम सरकार
मु.नं. विविध 24/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
11/9/24	पत्रावली पेश हुई, वहान प्रा. पत्र पर सुनी गई, पत्रावली वास्ते निर्णय दि.ता. 18-9-24 को पेश हो। उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)
18/9/24	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखा गया, जो शामिल मिसल हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल दफ्तर होकर नम्बरान से कम हो। उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बसवा (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या विविध 24/2024
प्रकरण रज्जु दिनांक : 24.06.2024
निर्णय दिनांक :– 18.09.2024

प्रकरण :– वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान

1. श्रीमती फूली देवी पत्नी रंगलाल
2. कमलेश पुत्र रंगलाल
3. गणेश पुत्र रंगलाल
4. तुलसीराम पुत्र रंगलाल
5. बद्रीप्रसाद पुत्र रंगलाल
6. राधेश्याम पुत्र रंगलाल
7. श्रवणलाल पुत्र रंगलाल

जाति मीना, निवासी देवान्दा की ढाणी, बसवा तहसील–बसवा जिला–दौसा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला–दौसा

(अप्रार्थी)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 18.9.2024

उपस्थिति :–1. प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री नवीन गुर्जर

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने इस आशय का एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128, एलआर एक्ट वास्ते पत्थरगढी किये जाने हेतु पेश किया है कि वाके ग्राम बसवा स्थित खाता संख्या नया 1210 पुराना 637 आराजी खसरा नंबर 10381/6749/0.03, 10383/6749/0.07, 6748/0.30, 6751/0.11, 6752/0.13, 6753/0.25, 6798/0.07, 6799/0.25, 6800/0.26, 6801/0.35, 6821/0.08, 6947/0.67, 6950 ́0.50, 6951/0.02, 6952/0.33, 7018/~~1032~~,1.32 7018/9944/0.01 कुल किता 17 कुल रकबा 4.75 हैक्टयर भूमि के खातेदार काश्तकार हैं । प्रार्थी की खातेदारी भूमि के स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण काश्त के समय सीमाओं को लेकर विवाद होने की संभावना बनी रहती [illegible] ई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण स्थाई सुरक्षा दिवार निर्मित नहीं करने से आवारा [illegible] काश्त को नष्ट कर जाते हैं । जिससे प्रार्थीगण को को काफी नुकसान [illegible] प्रार्थीगण द्वारा उक्त खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान के संबंध में तहसीलदार [illegible] के आदेश कमांक भू.अ. /2024/1686 दिनांक 20.5.2024 की पालना में दिनांक [illegible]6.2024 को उक्त आराजियात का सीमाज्ञान किया गया । लिहाजा प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत दिनांक 10.6.2024 के सीमाज्ञान के आधार पर उक्त आराजियात वाके ग्राम बसवा स्थित खाता संख्या नया 1210 पुराना 637 आराजी खसरा नंबर 10381/6749/0.03, 10383/6749/0.07, 6748/0.30, 6751/0.11, 6752/0.13, 6753/0.25, 6798/0.07, 6799/0.25, 6800/0.26, 6801/0.35, 6821/0.08, 6947/0.67, 6950/0.50,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:06:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)

6951/0.02, 6952/0.33, 7018/1032, 7018/9944/0.01 कुल किता 17 कुल रकबा 4.75 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढी की अनुमति प्रदान की जावे एवं लिहाजा इस आशय के आदेश फरमाये जावें ।

प्रा.पत्र वास्ते पत्थरगढी प्राप्त होने पर, न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके, अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये ।

प्रकरण के साथ प्रस्तुत प्रश्नगत भूमि की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 10.6.2022 का अवलोकन किया गया । उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हलका बसवा सी द्वारा अंकन किया गया है कि "आज दिनांक 10.6.2022 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय के आदेश कमांक भू.अ./2024/1686 दिनांक 20.5.2024 की पालना में आराजी खसरा नंबरान 10381/6749, 10383/6749, 6748, 6751, 6752, 6753, 6798, 6799, 6800, 6801, 6821, 6947, 6950, 6951, 6952, 7018, 7018/9944 वाके ग्राम बसवा के मौके पर पहुँची । मौके पर राजस्व नक्शे से मिलान कर खसरा नंबर 6792, 6797 व 6762 गै.मु.चाह को मुस्तकिल बिन्दु मानकर उक्त खसरा नंबरान की समस्त भुजाओं व समस्त कोनों से अवगत करवाया गया तथा खसरा नंबर 6800, 6801 व 6821 में आंशिक आबादी बसी हुई है, उक्त मौका पर्चा तैयार कर पढकर सुनाया गया तथा उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये।"

प्रकरण में बहस सुनी गई । तथापि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस पर मनन किया गया । बाद पत्रावली अवलोकन एवं मनन के हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रार्थीगण द्वारा जिस आराजी की पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रा.पत्र पेश किया है उसमें से यदि भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं तो प्रार्थी को सीमा विवाद से सुरक्षा प्राप्त होगी । ऐसी दशा में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत पत्थरगढी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

लिहाजा आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की आराजी वाके ग्राम बसवा स्थित खाता संख्या नया 1210 पुराना 637 आराजी खसरा नंबर 10381/6749/0.03, 10383/6749/0.07, 6748/0.30, 6751/0.11, 6752/0.13, 6753/0.25, 6798/0.07, 6799/0.25, 6800/0.26, 6801/0.35, 6821/0.08, 6947/0.67, 6950/0.50, 6951/0.02, 6952/0.33, 7018/1032 (.32 है.), 7018/9944/0.01 कुल किता 17 कुल रकबा 4.75 हैक्टयर भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही की जावे एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी बसवा
जिला दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उपखण्ड मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)